



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०-27/2018 धारा-302,323,504 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शेखर सिंह कछवार पुत्र रणविजय सिंह निवासी ग्राम लहरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध पाये जाने पर आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
पीओ चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
निरी० संगम मिश्रा



पैरोकार-
थाना कुरारा
का० रजनीश कुमार